9/10/18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वे न्यायालय समक्ष में उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण कई वर्षों से अकारण ही लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल नतीजा हो। L.C. का रिकार्ड निर्णय की प्रतिलिपि के साथ पुनः लौटाया जावे।